भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1447

सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

श्रम कल्याण के लिए धन जारी करने में देरी

†1447. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में असंगठित श्रमिकों के लिए लागू केंद्र प्रायोजित श्रम कल्याण योजनाओं में 2025-26 के दौरान देरी हुई है, जबकि राज्य द्वारा उनका कार्यान्वयन जारी रखा गया है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं:

(ख) क्या ऐसी देरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ढांचे में प्रस्तावित परिवर्तनों से उत्पन्न बकाया और अनिश्चितताओं के साथ अतिव्याप्ति होती है, जिससे समग्र श्रम कल्याण परिव्यय प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु के श्रम कल्याण बोर्डों, रोजगार एक्सचेंजों और श्रमिक सहायता तंत्र के कामकाज पर विलबित केंद्रीय सहायता के प्रभाव की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 2024-25 और 2025-26 के दौरान श्रम और रोजगार योजनाओं के तहत तमिलनाडु को स्वीकृत और वास्तव में जारी की गई धनराशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तमिलनाडु को समय पर धन प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं ताकि अंतर-सरकारी देरी के कारण श्रमिकों को मिलने वाले लाभ बाधित न हों?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): 'श्रम' भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के प्रयासों को अनुपूरित करती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं और अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित की जाती हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित की जाती हैं। इन योजनाओं के लिए अलग से राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

जारी.....2/-

क्रियान्वित की जा रही प्रमुख कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इस प्रकार हैं: (i) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम), जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए भारत सरकार द्वारा समान अंशदान वाली एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना है; (ii) बीड़ी/सिने/गैर-कोयला खान कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) जिसमें तीन घटक अर्थात स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति और आवास शामिल हैं ; (iii) मॉडल करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस); (iv) ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995; (v) बंधुआ मजदूरों की पहचान और पुनर्वास के लिए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास; (vi) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं; और (vii) प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई)। इन योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन और निधियों को जारी करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के श्रम बजट (एलबी) और उनके कार्य निष्पादन पर "सहमति" के आधार पर राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है, और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर कार्य की मांग को ध्यान में रखते हुए निधियां उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 (दिनांक 29.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार) के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य को जारी निधियां इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष	**कुल रिलीज (करोड़ में)**
2024-25	7585.49
2025-26 (दिनांक 29.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार)	6860.48

मंत्रालय, भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 को प्रशासित करता है। राज्य सरकारों को भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण जैसे मृत्यु और निःशक्तता कवर, पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति कवर, पंजीकृत भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, ट्रांजिट हाउसिंग, कौशल विकास, जागरूकता कार्यक्रम आदि प्रदान करने के लिए उपकर एकत्र करने और इसका उपयोग करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

जारी.....3/-

इसके अलावा, ई-श्रम पोर्टल (www.eshram.gov.in), असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर पंजीकरण करने की अनुमति देता है। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और ऐसे कामगारों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण को सुगम बनाना है। दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य के 95.36 लाख कामगारों सहित 31.44 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

ई-श्रम के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित कामगारों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है, जिन्होंने तमिलनाडु में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है।

लाभार्थियों को जागरूक और प्रेरित करने जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन तमिलनाडु राज्य सहित, राज्यों और स्थानीय प्राधिकरणों के सहयोग से जागरूकता शिविरों का आयोजन करके, नामांकन को सुकर बनाकर किया जाता है।

*

*****

अनुबंध

"श्रम कल्याण के लिए धन जारी करने में देरी" के संबंध में डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1447 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ई-श्रम के तहत पंजीकृत असंगठित कामगारों का ब्यौरा, जिन्होंने जो तमिलनाडु में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है:

क्रम संख्या	योजना का नाम	नामांकन की संख्या
1	वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)	61,16,220
2	आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)	45,83,677
3	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीआई)	19,36,328
4	विकसित भारत-गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी)	35,23,931
5	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	5,48,188
6	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेवबीवाई)	6,14,956
7	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमवाई-जी)	2,07,551
8	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि)	86,608
9	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	41,979
10	प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू)	45,014
11	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)	57,261
12	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	7,351
13	प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	1,649

****